तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज कल्पेश बुच बनाम लो.सू.अधिकारी (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) सू.अ.अ.अपील सं0 231/2023 (ऑनलाईन353513496319191)	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.11.23	अपीलार्थी संजय कुमार जैन निवासी 2–बी, अशोक नगर मैन रोड़, वार्ड नं. 51, उदयपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 17.08.2023. में उसके द्वारा (1) कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर में भर्ती विज्ञापन कमांक AUJ/2022/02 दिनांक 13 जनवरी 2023 के प्रकाशित पद कमांक 15 कृषि सांख्यिक के लिए अपेक्षित योग्यता के सन्दर्भ में कृषि सांख्यिकी विशेषज्ञ के लिए आप द्वारा जिन पाठयक्रम को मान्य माना गया/जानकारी व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (जिला कलक्टर कार्यालय जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र संबंधित लोक सूचना अधिकारी, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर को सूचना उपलब्ध कराने हेतु स्थानान्तरित कर दिया गया, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 1118 दिनांक 18.10.23 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित सूचना इस कार्यालय से संबंधित न होकर कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर से संबंधित होने के फलस्वरूप प्रार्थी का आवेदन पत्र धारा 6(3) के तहत लोक सूचना अधिकारी, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर को कार्यालय पत्रांक 1029 दिनांक 22.08.2023 द्वारा अंतिरित कर प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया तथा प्रार्थी को भी पत्र की प्रति प्रेषित की गई। चूंकि अपीलार्थी/प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर कार्यालय से संबंधित होने के कारण लोक सूचना अधिकारी द्वारा विधिक प्रकिया के तहत प्रार्थना पत्र संबंधित लोक सूचना अधिकारी (कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर) को स्थानान्तरित कर दिया गया तथा इस बाबत् प्रार्थी को भी सूचित किया जा चुका है। अपीलार्थी/प्रार्थी को लोक सूचना अधिकारी (कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर) के विरूद्ध सक्षम प्रथम अपीलेट अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की जानी चाहिए। लोक सूचना अधिकारी, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर का प्रथम अपीलेट अधिकारी जिला कलक्टर जोधपुर नहीं होने से अपील निरस्त योग्य है जो निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया। (हिमांशु गुप्ता) जिला कलक्टर जोधपुर जिला कलक्टर, जोधपुर (राज.)	